उत्तर प्रदेश जल निगम(ग्रामीण) निदेशक मण्डल की चतुर्थ बैठक दिनांक 16.05.2023 का कार्यवृत्त ।

पत्रांक 603 /प्र–1/007–नि०म०बै०–004/2023 दिनांक 25-05-2023

उपस्थिति :–

1. श्री अनुराग श्रीवास्तव, अध्यक्ष, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ ।
2. डा० बलकार सिंह, प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ ।
3. श्री राजेश कुमार पाण्डेय, संयुक्त प्रबन्ध निदेशक (प्रशासन), उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ।
4. श्री बृजराज सिंह यादव, संयुक्त प्रबन्ध निदेशक (ग्रामीण), उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ ।
5. श्री जयमंगल राव, वित्त नियंत्रक(SWSM) (अधिकृत प्रतिनिधि) अपर मुख्य सचिव(वित्त), उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ ।
6. श्री ज्ञानपाल सिंह, वित्त निदेशक, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ ।
7. श्री राज कुमार शर्मा, मुख्य अभियन्ता(ग्रामीण), उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ ।
8. श्री अरविन्द कुमार वर्मा, अपर निदेशक, नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ ।
9. श्री अमिताभ श्रीवास्तव, अनु सचिव, पंचायतीराज विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ ।
10. श्री अभिषेक दत्त, (अधिकृत प्रतिनिधि) निदेशक, पंचायतीराज, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
11. डा०बी०पी०सिंह कल्याणी,(अधिकृत प्रतिनिधि) निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
12. श्रीमती रश्मी सिंह, उपनिदेशक, स्थानीय निकाय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण) द्वारा निदेशक मण्डल के समस्त मा० सदस्यों का स्वागत किया गया । निदेशक मण्डल की बैठक का कोरम पूर्ण पाया गया एवं अध्यक्ष, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ की अनुमति से बैठक प्रारम्भ की गयी । बैठक में प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार विमर्श के उपरान्त निम्नवत निर्णय लिये गये :–

मद सं०	एजेण्डा नोट का विवरण	लिया गया निर्णय
1	2	3
04.01	उत्तर प्रदेश जल निगम(ग्रामीण) निदेशक मण्डल की तृतीय बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि	निदेशक मण्डल द्वारा कार्यवृत्त की पुष्टि की गयी। तृतीय बैठक के कार्यवृत्त की छायाप्रति मिनिट्स बुक में चस्पा कर अध्यक्ष महोदय को अवलोकित कराते हुये हस्ताक्षर कराये गये ।
04.02	उत्तर प्रदेश जल निगम(ग्रामीण) निदेशक मण्डल की तृतीय बैठक के अनुपालन की स्थिति ।	निदेशक मण्डल द्वारा निदेशक मण्डल की तृतीय बैठक में लिये गये निर्णयों के अनुपालन को सज्ञान में लिया गया ।

मद सं०	एजेण्डा नोट का विवरण	लिया गया निर्णय
1	2	3
04.03	उत्तर प्रदेश जल निगम अधीनस्थ अभियन्त्रण सेवा विनियमावली–1979 के विनियम–5,6, 8,14,15,16,17,20,21, 22 तथा 23 के संशोधन के सम्बन्ध में कार्योत्तर स्वीकृति हेतु एजेण्डा नोट ।	निदेशक मण्डल द्वारा उत्तर प्रदेश जल निगम अधीनस्थ अभियन्त्रण सेवा विनियमावली–1979 के विनियम –5,6,8,14, 15,16,17,20,21, 22 तथा 23 को संशोधित किये जाने की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गयी ।
04.04	उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण) के अन्तर्गत प्रशासनिक आवश्यकता के दृष्टिगत उ0प्र0 जल निगम/अन्य विभाग से सेवानिवृत्त तकनीकी कार्मिकों की संविदा के आधार पर नियुक्ति हेतु निर्गत विज्ञप्ति की कार्योत्तर स्वीकृति के सम्बन्ध में एजेण्डा नोट ।	निदेशक मण्डल द्वारा उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण) के अन्तर्गत प्रशासनिक आवश्यकता के दृष्टिगत उ0प्र0 जल निगम/अन्य विभाग से सेवानिवृत्त तकनीकी कार्मिकों को आउटसोर्सिंग के माध्यम से लिये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी ।
04.05	उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण) के अन्तर्गत प्रशासनिक आवश्यकता के दृष्टिगत श्री घनश्याम द्विवेदी, सेवानिवृत्त मुख्य अभियन्ता(स्तर–2/सिविल) को संविदा के आधार पर मुख्य कन्सलटेन्ट(सिविल) के पद पर अगले आदेशों तक नियुक्त किये जाने हेतु निर्गत आदेश की कार्योत्तर स्वीकृति के सम्बन्ध में एजेण्डा नोट ।	निदेशक मण्डल द्वारा उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण) के अन्तर्गत प्रशासनिक आवश्यकता के दृष्टिगत श्री घनश्याम द्विवेदी, सेवानिवृत्त मुख्य अभियन्ता(स्तर–2/सिविल) को संविदा के आधार पर मुख्य कन्सलटेन्ट (सिविल) के पद पर एक वर्ष से अनधिक अवधि के लिए नियुक्त किये जाने हेतु कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गयी तथा यह भी निर्देश दिये गये कि इस पद पर आउटसोर्सिंग के माध्यम से अग्रेतर नियुक्ति की जाए ।
04.06	उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण) के अन्तर्गत श्री प्रभात कुमार श्रीवास्तव, विधि सलाहकार (संविदा) की सेवा समाप्त किये जाने हेतु निर्गत ज्ञाप सं0 129/प्र–1/007/ विविध– 0002/ 2023 दिनांक 17.02.2023 की कार्योत्तर स्वीकृति के सम्बन्ध में एजेण्डा नोट ।	निदेशक मण्डल द्वारा उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण) के अन्तर्गत श्री प्रभात कुमार श्रीवास्तव, विधि सलाहकार(संविदा) की सेवा समाप्त किये जाने हेतु निर्गत ज्ञाप सं0 129/प्र–1/007/विविध–0002/2023 दिनांक 17.02.2023 की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गयी ।
04.07	उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण) के अन्तर्गत कार्यरत कार्मिकों, उनके आश्रितों पुत्र, पुत्री एवं पत्नी के नाम चल, अचल सम्पत्तियों का विवरण घोषणा–पत्र पर उपलब्ध कराने हेतु निर्गत पत्र पर कार्योत्तर स्वीकृति के सम्बन्ध में एजेण्डा नोट ।	निदेशक मण्डल द्वारा उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण) के अन्तर्गत कार्यरत कार्मिकों, उनके आश्रितों पुत्र, पुत्री एवं पत्नी के नाम चल, अचल सम्पत्तियों का विवरण घोषणा–पत्र पर उपलब्ध कराने हेतु निर्गत पत्र पर कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गयी तथा निर्देश दिये गये कि सभी कार्मिकों से 03 माह के अन्दर सम्पत्तियों का विवरण घोषणा–पत्र पर प्राप्त कर लिया जाए ।

मद सं०	एजेण्डा नोट का विवरण	लिया गया निर्णय
1	2	3
04.08	उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण) के अन्तर्गत प्रशासनिक आवश्यकता के दृष्टिगत श्री विनय कुमार त्रिपाठी, अधिवक्ता को संविदा के आधार पर विधि परामर्शदाता के रूप में अगले आदेशों तक नियुक्त किये जाने हेतु निर्गत ज्ञाप की कार्योत्तर स्वीकृति के सम्बन्ध में एजेण्डा नोट	निदेशक मण्डल द्वारा उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण) के अन्तर्गत प्रशासनिक आवश्यकता के दृष्टिगत श्री विनय कुमार त्रिपाठी, अधिवक्ता को संविदा के आधार पर विधि परामर्शदाता के रूप में एक वर्ष से अनधिक अवधि के लिए नियुक्त किये जाने हेतु कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गयी तथा यह भी निर्देश दिये गये कि अग्रेतर इस पद पर आउटसोर्सिंग के माध्यम से ही नियुक्ति की जाए ।
04.09	उत्तर प्रदेश जल निगम(ग्रामीण) गठन के उपरान्त जी०पी०एफ० मद में धनराशि की कमी के दृष्टिगत मा०न्यायालय से आच्छादित एवं अन्य आवश्यक भुगतान हेतु राजस्व मद से जी०पी०एफ० मद में अन्तरित की गयी धनराशि रू. 25.00 करोड के सम्बन्ध में कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त किये जाने हेतु मा०निदेशक मण्डल के समक्ष प्रस्तुत किये जाने का एजेण्डा नोट ।	निदेशक मण्डल द्वारा उत्तर प्रदेश जल निगम(ग्रामीण) गठन के उपरान्त जी०पी० एफ० मद में धनराशि की कमी के दृष्टिगत मा०न्यायालय से आच्छादित एवं अन्य आवश्यक भुगतान हेतु राजस्व मद से जी०पी०एफ० मद में अन्तरित की गयी धनराशि रू. 25.00 करोड के सम्बन्ध में कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गयी । यह भी निर्देश दिये गये कि उ०प्र० जल निगम (नगरीय) से इस मद में प्राप्त होने वाली धनराशि शीघ्र प्राप्त करने हेतु प्रयास किये जाय ।
04.10	उत्तर प्रदेश जल निगम(ग्रामीण) के मुख्यालय स्थित राज्य स्तरीय प्रयोगशाला भवन को प्रशासनिक भवन में परिवर्तित करते हुये भवन के नवीकरण के डी०पी०आर० की अनुमानित लागत रू० 455.57 लाख(Work Cost Rs 382.25 Lacs +GST &Labour Cess Rs. 73.32 Lacs) की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करने के सम्बन्ध में एजेण्डा नोट ।	निदेशक मण्डल द्वारा उत्तर प्रदेश जल निगम(ग्रामीण) के मुख्यालय स्थित राज्य स्तरीय प्रयोगशाला भवन को प्रशासनिक भवन में परिवर्तित करते हुये भवन के नवीकरण के डी०पी०आर० की अनुमानित लागत रू० 455.57 लाख (Work Cost Rs 382.25 Lacs +GST &Labour Cess Rs. 73.32 Lacs) की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गयी ।

मद सं०	एजेण्डा नोट का विवरण	लिया गया निर्णय
1	2	3
04.11	उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण) के अन्तर्गत प्रशासनिक आवश्यकता के दृष्टिगत कम्प्यूटर से सम्बन्धित कार्यो के निस्तारण हेतु संविदा के आधार पर नियुक्त श्री अमिताभ बाजपेई, कम्प्यूटर तकनीशियन की संविदा नियुक्ति की अवधि को अग्रिम आदेशों तक बढाये जाने के सम्बन्ध में एजेण्डा नोट ।	निदेशक मण्डल द्वारा उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण) के अन्तर्गत प्रशासनिक आवश्यकता के दृष्टिगत कम्प्यूटर से सम्बन्धित कार्यो के निस्तारण हेतु संविदा के आधार पर नियुक्त श्री अमिताभ बाजपेई, कम्प्यूटर तकनीशियन की संविदा नियुक्ति की अवधि को दिनांक 31.07.2023 तक बढाये जाने हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया तथा यह भी निर्देश दिये गये कि अग्रेतर इस पद पर आउटसोर्सिंग के माध्यम से नियुक्ति की जाए ।
04.12	उत्तर प्रदेश जल निगम(ग्रामीण) गठन के उपरान्त आवश्यकतानुसार ग्रामीण जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था से सम्बन्धी योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण) में वित्त एवं लेखा के अन्तर्गत आवंटित किये गये लेखाधिकारी के पदों की कमी के दृष्टिगत पद बढाने/सृजित किये जाने के सम्बन्ध में निदेशक मण्डल के समक्ष प्रस्तुत किये जाने हेतु एजेण्डा नोट ।	निदेशक मण्डल द्वारा उ० प्र० जल निगम (ग्रामीण) के गठन उपरान्त आवश्यकतानुसार ग्रामीण जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था से सम्बन्धी योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण) में वित्त एवं लेखा के अन्तर्गत आवंटित किये गये लेखाधिकारी के पदों की कमी के दृष्टिगत पद बढाने/सृजित किये जाने, कुल 06 पद(वर्तमान में स्वीकृत 03 पद सहित) के सम्बन्ध में अनुमोदन प्रदान करने के साथ-साथ सहायक लेखाधिकारी के कुल 10 पद(वर्तमान में स्वीकृत 06 पद सहित) स्वीकृत/सृजित किये जाने का अनुमोदन प्रदान किया गया साथ ही निर्देश दिये गये कि उक्त की अनुमति शासन से प्राप्त कर ली जाए ।
04.13	ग्रामीण जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था से सम्बन्धी योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण) में वित्त एवं लेखा के अन्तर्गत लेखा कार्मिकों की कमी के दृष्टिगत सहायक लेखाकार वेतन बैण्ड-1, रू० 5200-20200 एवं ग्रेड वेतन रू० 2800 पर एक मुश्त समायोजन किये जाने हेंतु निर्धारित अर्हता/लेखा कार्य अनुभव में छूट प्रदान किये जाने/ शिथिलता प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में निदेशक मण्डल के समक्ष प्रस्तुत किये जाने हेतु एजेण्डा नोट ।	निदेशक मण्डल द्वारा ग्रामीण जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था से सम्बन्धी योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण) में वित्त एवं लेखा के अन्तर्गत लेखा कार्मिकों की कमी के दृष्टिगत सहायक लेखाकार वेतन बैण्ड-1, रू० 5200-20200 एवं ग्रेड वेतन रू० 2800 पर एक मुश्त समायोजन किये जाने हेंतु निर्धारित अर्हता/लेखा कार्य अनुभव में छूट प्रदान किये जाने/ शिथिलता प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में अनुमोदन प्रदान किया गया साथ ही निर्देश दिये गये कि उक्त की अनुमति शासन से प्राप्त कर ली जाए ।

मद सं०	एजेण्डा नोट का विवरण	लिया गया निर्णय
1	2	3
04.14	प्राविधिक परीक्षक(टी०ए०सी०) ग्राम्य विकास विभाग, वाराणसी मण्डल, वाराणसी तथा प्राविधिक परीक्षक (टी०ए०सी०) ग्रम्य विकास विभाग, विन्ध्याचल मण्डल, मीरजापुर द्वारा उपलब्ध करायी गयी संयुक्त जॉच आख्या में जनपद–सोनभद्र में पेयजल योजनाओं के निर्माण में की गयी विभिन्न प्रकार की अनियमितताओं के प्रथम दृष्ट्या प्रकाश में आने पर दोषी लोककार्मिकों के विरूद्ध अनुशासनिक जॉच संस्थित किये जाने हेतु एजेण्डा नोट ।	निदेशक मण्डल द्वारा उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण) से सेवानिवृत्त कार्मिकों के विरूद्व प्रस्तुत प्रस्ताव के अनुसार नियम–351(ए) के अन्तर्गत जॉच संस्थित करने हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया एवं उ०प्र० जल निगम(नगरीय) से सम्बन्धित कार्मिकों के सम्बन्ध में प्रकरण उ०प्र० जल निगम(नगरीय) को सन्दर्भित करने हेतु निर्देश दिये गये ।
04.15	कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, उ०प्र० जल निगम, श्रावस्ती(वर्तमान में खण्ड कार्यालय, श्रावस्ती) में अधिशासी अभियन्ता के पद पर तैनाती अवधि में विकास खण्ड इकौना की टण्डवा महन्त ग्राम पंचायत पाइप पेयजल योजना से सम्बन्धित अभिलेखों के आधार पर की गयी जॉच पर प्रकाश में आये प्रतिकूल तथ्यों /वित्तीय अनियमितताओं के फलस्वरूप जॉच में अधिरोपित दण्ड को विलोपित किये जाने के सम्बन्ध में श्री सियाराम प्रसाद, अधिशासी अभियन्ता(वर्तमान में सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता) द्वारा प्रस्तुत अपीलीय प्रत्यावेदन दिनांक 06.01.2023 के निस्तारण हेतु एजेण्डा नोट ।	निदेशक मण्डल द्वारा श्री सियाराम प्रसाद, से०नि० सहा०अभि० की प्रस्तुत अपील पर सुनवाई उपरान्त अपील में कोई नये तथ्य प्रस्तुत नहीं किये जाने/अपील बलहीन पाये जाने के कारण इनकी अपील स्वीकार योग्य नहीं पाई गयी तथा पूर्व में निर्गत कार्यालय ज्ञाप संख्या 826/009–2021–02–0012 (गो०क्षे०), दिनांक 17.12.2022 द्वारा दिये गये दण्ड को यथावत बनाये रखने एवं संदर्भित जॉच प्रकरण को नियम–351(ए) के अन्तर्गत परिवर्तित करने के प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया।
04.16	कार्यालय ज्ञाप सं०–676/007–2019–01–0109(झा०क्षे०) दिनांक 17.08.2021 से पारित दण्डादेश के सापेक्ष श्री राम बिहारी, अधिशासी अभियन्ता द्वारा दाखिल की गयी अपील के निस्तारण हेतु एजेण्डा नोट।	निदेशक मण्डल द्वारा श्री राम बिहारी, अधि०अभि० द्वारा प्रस्तुत अपील पर सुनवाई उपरान्त अपील में कोई नये तथ्य प्रस्तुत नहीं किये जाने/अपील बलहीन होने के कारण इनकी अपील स्वीकार योग्य नहीं पायी गई तथा पूर्व में निर्गत कार्यालय ज्ञाप सं० 676/007–2019–01–0109(झां०क्षे०) दिनांक 17.08.2021 द्वारा दिये गये दण्ड को यथावत बनाये रखने का निर्णय लिया गया ।

मद सं०	एजेण्डा नोट का विवरण	लिया गया निर्णय
1	2	3
04.17	श्री गिरधारी लाल, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता की रख–रखाव खण्ड, उ०प्र०जल निगम, आगरा में तैनाती के दौरान वित्तीय वर्ष 2008–09 से 2012–2013 के मध्य अन्य कार्यों पर टी०टी०एस०पी० की धनराशि रू० 38.83 करोड़ के व्ययवर्तन से सम्बन्धित संस्थित जॉच प्रकरण में दोषी पाये जाने के फलस्वरूप दण्ड के निर्धारण हेतु उ०प्र० जल निगम निदेशक मण्डल के समक्ष निर्णय हेतु एजेण्डा नोट ।	मा०उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 28.09.2020 के समादर में याची श्री गिरधारी लाल, से०नि० सहा०अभि० को निदेशक मण्डल द्वारा विधिवत सुना गया, सुनवाई के दौरान श्री गिरधारी लाल, द्वारा कोई नये तथ्य/ साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये गये, जिससे कि उनके पक्ष को बल मिलता हो । अतः श्री गिरधारी लाल, से०नि० सहा० अभि० को वित्तीय अनियमितताओं हेतु दण्डित किये जाने योग्य पाया गया, तद्सापेक्ष नियमानुसार वसूली आदेश जारी किये जाने हेतु निर्देश दिये गये ।
04.18	श्री मुन्शीलाल, सेवानिवृत्त अधिशासी अभियन्ता की रख–रखाव खण्ड, उ०प्र०जल निगम, आगरा में तैनाती के दौरान वित्तीय वर्ष 2008–09 से 2012–13 के मध्य अन्य कार्यों पर टी०टी०एस०पी० की धनराशि रू० 38.83 करोड़ के व्ययवर्तन से सम्बन्धित संस्थित जॉच प्रकरण में दोषी पाये जाने के फलस्वरूप दण्ड के निर्धारण हेतु उ०प्र० जल निगम निदेशक मण्डल के समक्ष निर्णय हेतु एजेण्डा नोट ।	निदेशक मण्डल द्वारा श्री मुन्शीलाल, सेवानिवृत्त अधिशासी अभियन्ता की प्रस्तुत अपील पर सुनवाई उपरान्त अपील में कोई नये तथ्य प्रस्तुत नहीं किये जाने/अपील बलहीन होने एवं निदेशक मण्डल के समक्ष उपस्थित नहीं होने के कारण इनकी अपील स्वीकार योग्य नहीं पाई गई। अतः प्रस्तुत प्रस्ताव के अनुसार वसूली आदेश नियमानुसार जारी करने हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया।
04.19	कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, यूनिसेफ प्रोजेक्ट यूनिट (वि०/यां०) उ०प्र०जल निगम, कर्वी में भूरागढ़ रा–वाटर इन्टेक वेल के कार्यों में अनियमितता की जॉच में चिन्हित उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) के सेवानिवृत्त कार्मिक के विरूद्ध नियम–351(ए) के अन्तर्गत निगम निदेशक मण्डल से विभागीय अनुशासनिक कार्यवाही प्रारम्भ किये जाने की स्वीकृति हेतु एजेण्डा नोट ।	निदेशक मण्डल द्वारा उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) के सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता श्री वी० के०गुप्ता के विरूद्ध नियम–351(ए) के अन्तर्गत विभागीय अनुशासनिक कार्यवाही प्रारम्भ किये जाने हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया।
04.20	कार्यालय महाप्रबन्धक, यमुना प्रदूषण नियंत्रण इकाई, उ०प्र० जल निगम, गाजियाबाद में वाटर सर्विस कनेक्शन संबंधी कार्यों में अनियमितता की जॉच में चिन्हित उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) के सेवानिवृत्त लोक कार्मिकों के विरूद्ध नियम–351(ए) के अन्तर्गत निगम निदेशक मण्डल से विभागीय अनुशासनिक कार्यवाही प्रारम्भ किये जाने की स्वीकृति हेतु एजेण्डा नोट ।	निदेशक मण्डल द्वारा निर्देश दिये गये कि प्रकरण में अन्तर्ग्रस्त लोक कार्मिकों के विरूद्ध कार्मिकवार आरोपों के सम्बन्ध में प्रथमतः विस्तृत विवरण आरोप आदि अनियमितता का उ०प्र० जल निगम (नगरीय) से प्राप्त कर परीक्षण कर आगामी बैठक में प्रस्तुत किये जायें ।

मद सं०	एजेण्डा नोट का विवरण	लिया गया निर्णय
1	2	3
04.21	अमृत कार्यक्रम के अनतर्गत जौनपुर सीवरेज योजना से सम्बन्धित सेवानिवृत्त कार्मिकों द्वारा की गयी अनियमितताओं के क्रम में उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) में समाहित सेवानिवृत्त लोककार्मिकों के विरूद्ध नियम–351(ए) के अन्तर्गत निगम निदेशक मण्डल से विभागीय अनुशासनिक कार्यवाही प्रारम्भ किये जाने की स्वीकृति हेतु एजेण्डा नोट।	निदेशक मण्डल द्वारा निर्देश दिये गये कि प्रकरण में अन्तर्ग्रस्त लोक कार्मिकों के विरूद्ध कार्मिकवार आरोपों के सम्बन्ध में प्रथमतः विस्तृत विवरण आरोप आदि अनियमितता का उ०प्र० जल निगम (नगरीय) से प्राप्त कर परीक्षण कर आगामी बैठक में प्रस्तुत किये जायें ।
04.22	कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, उ०प्र० जल निगम, मथुरा (द्वादश खण्ड मथुरा में समाहित) के अभिलेखों की विशेष आन्तरिक सम्परीक्षा दल द्वारा की गयी जॉच के आधार पर प्रकाश में आये प्रतिकूल तथ्यों/ वित्तीय अनियमितताओं के फलस्वरूप प्रचलित विभागीय जॉच के सापेक्ष निस्तारित जॉच में अधिरोपित दण्ड को विलोपित किये जाने के सम्बन्ध में श्री दयानन्द शर्मा, अधिशासी अभियन्ता द्वारा प्रस्तुत अपीलीय प्रत्यावेदन दिनांक 14.02.2023 के निस्तारण हेतु एजेण्डा नोट।	निदेशक मण्डल द्वारा श्री दयानन्द शर्मा, अधिशासी अभियन्ता की प्रस्तुत अपील पर सुनवाई उपरान्त अपील में कोई नये तथ्य प्रस्तुत नहीं किये जाने/अपील बलहीन पाये जाने एवं निदेशक मण्डल के समक्ष उपस्थित नहीं होने के कारण इनकी अपील स्वीकार योग्य नहीं पाई गई। अतः कार्यालय ज्ञाप सं. 337/007–2016–01–0389 (आ.क्षे.) दिनांक 06.04.2021 द्वारा निर्गत दण्डादेश को यथावत बनाये रखने के प्रस्तुत प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया।
04.23	श्री निर्दोष कुमार जौहरी, सेवानिवृत्त अधिशासी अभियन्ता के विरूद्ध संस्थित अनुशासनिक जॉच को सी०एस०आर० के नियम–351(ए) के अन्तर्गत परिवर्तित किये जाने के सम्बन्ध में मा० निगम निदेशक मण्डल की कार्योत्तर स्वीकृति हेतु एजेण्डा नोट।	निदेशक मण्डल द्वारा श्री निर्दोष कुमार जौहरी, सेवानिवृत्त अधिशासी अभियन्ता के विरूद्ध संस्थित अनुशासनिक जॉच को सी०एस०आर० के नियम–351(ए) के अन्तर्गत परिवर्तित किये जाने के सम्बन्ध में कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गयी ।
04.24	उत्तर प्रदेश जल निगम(ग्रामीण) को नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग के अधीन नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति निदेशालय बनाये जाने के सम्बन्ध में एजेण्डा नोट ।	नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग के अधीन नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति निदेशालय पूर्व में गठित है, उक्त निदेशालय में उत्तर प्रदेश जल निगम(ग्रामीण) के स्वीकृत पदों को समाहित किये जाने हेतु निदेशक मण्डल द्वारा अनुमोदन प्रदान करते हुये प्रस्ताव शासन को प्रेषित करने के निर्देश दिये गये।
04.25	नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति निदेशालय के गठन हेतु प्रतिनियुक्ति के सृजित पदो के सापेक्ष उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण) में कार्यरत कार्मिकों की प्रतिनियुक्ति पर तैनाती किये जाने विषयक एजेण्डा नोट ।	निदेशक मण्डल द्वारा नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति निदेशालय के गठन हेतु प्रतिनियुक्ति के सृजित पदो के सापेक्ष उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण) में कार्यरत कार्मिकों की प्रतिनियुक्ति पर तैनाती किये जाने हेतु सैद्धान्तिक अनुमोदन प्रदान किया गया ।

मद सं०	एजेण्डा नोट का विवरण	लिया गया निर्णय
1	2	3
04.26	कार्यालय ज्ञाप सं. 431/009–2019–01–0109(झा०क्षे०) दि० 26.07.2022 से पारित दण्डादेश के सापेक्ष श्री अरविन्द कुमार अवस्थी, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता द्वारा दाखिल की गयी अपील के निस्तारण एवं संदर्भित जॉच प्रकरण सी०एस०आर० के नियम–351(ए) के अन्तर्गत परिवर्तित किये जाने हेतु एजेण्डा नोट ।	निदेशक मण्डल द्वारा श्री अरविन्द कुमार अवस्थी, से०नि० सहा०अभि० की प्रस्तुत अपील पर सुनवाई उपरान्त अपील में कोई नये तथ्य प्रस्तुत नहीं किये जाने/अपील बलहीन होने के कारण इनकी अपील स्वीकार योग्य नहीं पायी गई तथा पूर्व में निर्गत कार्यालय ज्ञाप सं. 431/009–2019–01–0109(झा.क्षे.) दिनांक 26.07.2022 द्वारा दिये गये दण्ड को यथावत बनाये रखने एवं संदर्भित जॉच प्रकरण को नियम–351(ए) के अधीन परिवर्तित किये जाने के प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया।
04.27	उत्तर प्रदेश जल निगम(ग्रामीण) के सेवानिवृत्त कार्मिकों को उनके सेवानैवृत्तिक देयकों के भुगतान किये जाने के प्रस्ताव पर निदेशक मण्डल का अनुमोदन प्राप्त किये जाने हेतु एजेण्डा नोट ।	निदेशक मण्डल द्वारा उत्तर प्रदेश जल निगम(ग्रामीण) के वेतन विसंगति के प्रकरणों से आच्छादित सेवानिवृत्त कार्मिकों को उनके समस्त सेवानैवृत्तिक देयकों के भुगतान किये जाने हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया ।
04.28	उत्तर प्रदेश जल निगम(ग्रामीण) में 4141 से आच्छादित सेवानिवृत्त नियमित फील्ड कर्मचारियों को ग्रेच्युटी /अवकाश नकदीकरण के भुगतान के सम्बन्ध में एजेण्डा नोट ।	निदेशक मण्डल द्वारा उत्तर प्रदेश जल निगम(ग्रामीण) में 4141 से आच्छादित सेवानिवृत्त नियमित फील्ड कर्मचारियों को उनके समस्त सेवानैवृत्तिक देयकों के भुगतान के सम्बन्ध में प्रस्तुत प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया।
04.29	**अध्यक्ष महोदय की अनुमति से ।**	
04.29.01	उत्तर प्रदेश जल निगम(ग्रामीण) द्वारा अपने संसाधन से बाटलिंग प्लांट अधिष्ठापित किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव पर मा० निदेशक मण्डल से अनुमोदन हेतु एजेण्डा नोट ।	निदेशक मण्डल द्वारा उत्तर प्रदेश जल निगम(ग्रामीण) द्वारा अपने संसाधन से बाटलिंग प्लांट नगरीय क्षेत्र के सरकारी विभागों, उपक्रमों आदि के वाणिज्यिक गतिविधियों के क्षेत्र में पेयजल उपलब्ध कराये जाने हेतु अधिष्ठापित किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया ।
04.29.02	उत्तर प्रदेश जल निगम(ग्रामीण) के मुख्यालय स्तर पर उपयोग हेतु वाहन क्रय किये जाने के सम्बन्ध में एजेण्डा नोट ।	निदेशक मण्डल द्वारा उत्तर प्रदेश जल निगम(ग्रामीण) के मुख्यालय स्तर पर उपयोग हेतु वाहन क्रय किये जाने के प्रस्तुत प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया ।

मद सं०	एजेण्डा नोट का विवरण	लिया गया निर्णय
1	2	3
04.29.03	उत्तर प्रदेश जल निगम विभाजन के उपरान्त उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण) में प्राइवेट बैंकों में खाता खोले जाने हेतु एजेण्डा नोट प्रस्ताव ।	निदेशक मण्डल द्वारा उत्तर प्रदेश जल निगम विभाजन के उपरान्त उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) में एच.डी.एफ.सी (प्राइवेट बैंक) में खाता खोले जाने एवं भविष्य में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अधिसूचित किसी Sheduled बैंक में खाता खोले जाने के सम्बन्ध में प्रबन्ध निदेशक उ०प्र०जल निगम(ग्रामीण) को अधिकृत किये जाने हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया ।

(कन्हैया बाबू गुप्ता)
सचिव(प्रशासन)

(ज्ञानपाल सिंह)
वित्त निदेशक

(बृजराज सिंह यादव)
संयुक्त प्रबन्ध निदेशक(ग्रामीण)

(राजेश कुमार पाण्डेय)
संयुक्त प्रबन्ध निदेशक(प्रशासन)

(डा0 बलकार सिंह)
प्रबन्ध निदेशक

(अनुराग श्रीवास्तव)
अध्यक्ष